न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 24/2025
निर्णय दिनांकः–28.02.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. ममता चौधरी पत्नि श्री सुभाष चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांकः–28.02.2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकारः है कि आराजी खाता सं. 914 के खसरा नं. 7038/6661 रकबा 0.5121 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5121 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जोकि मुझ ने विक्रेता कैलाश पुत्र गंगाराम जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम फागी तहसील फागी जिलां जयपुर में स्थित से जरिये विक्रय पत्र क्रय किया था। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2025 को उपपंजीयक कार्यालय फागी में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया था। उक्त प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के खसरा नं. 7038/6661 रकबा 0.5121 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.5121 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसका विक्रय पत्र के मुताबिक आटो सिस्टम के तहत नामान्तकरण सं. 2060 दिनांक 10.02.2025 को खोलते समय आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थीया का ममता चौधरी पुत्र सुभाष चौधरी गलत दर्ज कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में विकास काय्र आदि करवाये जाने एवं राजकीय सहायता से वंचि होना पड रहा है। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना एक खातेदार के लिए आवश्यक हैं प्रार्थीया अपने सही नाम व पति के नाम आदि बाबत श्रीमान के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर पेश है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे निवेदन किया कि ग्राम फागी पश्चिम में दिनांक

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(2)

10.02.2025 को पंजीयन क्रमांक 202503284100348 द्वारा रजि. विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय में बेचान का नामान्तकरण नामा. सं. 2060 Auto genrate हुआ व स्वीकृत हुआ। उक्त विक्रय पत्र के क्रेती ममता चौधरी पत्नी सुभाष चौधरी जाति जाट निवासी चकवाडा के नाम खातेदार के रूप में नामान्तकरण दर्ज होने के स्थान पर ममता चौधरी पुत्री सुभाष चौधरी दर्ज हो गया जो कि अशुद्धि /त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। परन्तु उक्त अशुद्धि/त्रुटिपूण्र प्रविष्टि नामा0 सं. 2060 में हुई है अतः उक्त खाते की शुद्धि पटवारी स्तर से किया जाना संभव नहीं है।

बहस सुनी गई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी पश्चिम मे स्थित खाता सं0 914 उक्त विवादग्रस्त आराजी वादीया के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने भी अपने जबाब मे ममता चौधरी पुत्र सुभाष चौधरी के स्थान पर ममता चौधरी पत्नि सुभाष चौधरी दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत जबाब के आधार पर हम प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 914 में वर्णित खसरा नम्बर 7038/6661 रकबा 0.5121 है0 भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन ममता चौधरी पुत्र सुभाष चौधरी के स्थान पर ममता चौधरी पत्नि सुभाष चौधरी दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/2/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर